न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6159

10

1. रामबगस लोधी पुत्र श्री मोती लाल लोधी,
2. जुगल लाधी पुत्र श्री मोतीलाल लोधी,
3. उदल लोधी पुत्र श्री मोतीलाल लोधी,
4. ब्रजकिशोर लोधी पुत्र श्री मोतीलाल लोधी, समस्त निवासीगण– ग्राम करमासन घाट तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव
द्वारा आज दि. 18-12-17
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 12-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

नौनेलाल काछी पुत्र धमला काछी, निवासी– ग्राम करमासन घाट तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--अनावेदक

<u>कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 30/10/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
8-12-2017

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, ग्राम करमासन घाट तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1352/1 रकबा 1.619 हे. एवं सर्वे क्रमांक 1352/2 रकबा 0.405 हे. आवेदकगण के पिता मोतीलाल लोधी की पटेती भूमि है जिस पर आवेदकगणो के लगभग 30–35 वर्ष पूर्व से मकान बने हुये है। जिस पर वर्तमान में आज भी काबिज होकर निवासरत है एवं कास्त कर रहे है।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा विद्वान तहसीलदार बल्देवगढ़ के समक्ष नकशा तरमीम हेतु आवेदन किया गया। विद्वान तहसीलदार महोदय द्वारा नकशा तरमीम हेतु प्रकरण दर्ज कर प्रकरण क्रमांक 25/अ/27/04–05 में वर्तमान आवेदकगणो को प्रकरण में हितबद्ध

(10)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6159 रामबगस विरूद्ध नौनेलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 14/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 2/1/19 सदस्य	